

IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to श्री सुशील डुंगडुंग वो श्री सुदीप डुंगडुंग

दोनों के पिता- स्व० लिबिन डुंगडुंग

Village: सलडेगा बरटोली

P.S सिमडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri/Smt. सुश्री रंजना स्वाती केरकेट्टा

S/O, W/O, D/O नाबोर केरकेट्टा

Village: सेवई

P.S: सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated... 02.12.2022

in Rev, C.N.T. case No 158 of 2022-23

U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana	Thana No	Khata No.	Plot No.	Area (in acies)	Value for Sale
सलडेगा	सिमडेगा	117	62	247	0.28 ए० मे से 0.13 ए०	9,10,000.00

(नौ लाख दस हजार रुपय मात्र)

भूमि की चौहदी:

उत्तर - पी० सी० सी० पथ अन्य सड़क

दक्षिण - बारी अनील कुल्लू वगैरह

पूरब - चौरा तारसियुस डुंगडुंग

पश्चिम - चौरा इसी प्लॉट का अंश

Sd.....

L.R.D.C. Simdega

Memo No. 73/11/Rev. Dated (Simdega the 02.12.2022... Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and श्री सुशील डुंगडुंग वो श्री सुदीप डुंगडुंग

दोनों के पिता- स्व० लिबिन डुंगडुंग

P.S: सिमडेगा

Village: सलडेगा बरटोली

Dist: सिमडेगा

For Information and needful

सुशील डुंगडुंग
14/12/22



L.R.D.C. Simdega

श्री सुशील डुंगडुंग
14/12/22

श्री सुशील डुंगडुंग
14/12/22

53)
07-12-22



न्यायालय, भूमि सुधार, उप समाहर्ता, सिमडेगा
अनुमति वाद सं० 158/2022-23

श्री सुशील डुंगडुंग वगै० आवेदकगण
वनाम
सुश्री रंजना स्वाती केरकेट्टा क्रेतिका

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे टिप्पणी सहित तारीख												
1	2	3												
02.12.2022	<p>आवेदकगण श्री सुशील डुंगडुंग व श्री सुदीप डुंगडुंग दोनों के पिता स्व० लिविन डुंगडुंग, ग्राम- सलडेगा बरटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किये हैं।</p> <p>भूमि विवरण:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता न०</th> <th>प्लॉट न०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सलडेगा</td> <td>सिमडेगा</td> <td>117</td> <td>62</td> <td>247</td> <td>0.28 ए० मे से 0.13 ए०</td> </tr> </tbody> </table> <p>कुल रकबा (तेरह डिसमिल) मात्र।</p> <p>आवेदकगण अपनी खतियानी जमीन को गृह निर्माण हेतु प्रस्तावित क्रेतिका- सुश्री रंजना स्वाती केरकेट्टा, पिता नाबोर केरकेट्टा, ग्राम सेवई, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा (जाति खड़िया) को विक्री कर रहे हैं। आम सूचना निर्गत की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न हैं। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हैं।</p> <p>अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 189(ii)/रा०, दिनांक 26.11.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं, जो अभिलेख में संलग्न हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दायर नहीं किया गया है, न ही अंचल अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का विवाद का आपत्ति के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। प्रस्तावित भूमि आवेदकगण की खतियानी भूमि है। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत मोदो खड़िया वो लेदवा खड़िया पे० देवा खड़िया वो खालु खड़िया वो रोधो खड़िया पे० लुरकू खड़िया है। वर्तमान जमाबंदीदार मोदो खड़िया वो लेदवा खड़िया पे० देवा खड़िया वो खालु खड़िया वो रोधो खड़िया पे० लुरकू खड़िया के नाम से दर्ज है। मालगुजारी आवेदकगण के द्वारा दिया जाता है। विक्रेतागण एवं क्रेतिका दोनों अनुसूचित जनजाति खड़िया जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि विक्री के पश्चात आवेदकगण के पास 2.99 एकड़ भूमि शेष बचता है।</p>	मौजा	थाना	थाना नं०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा	सलडेगा	सिमडेगा	117	62	247	0.28 ए० मे से 0.13 ए०	
मौजा	थाना	थाना नं०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा									
सलडेगा	सिमडेगा	117	62	247	0.28 ए० मे से 0.13 ए०									

07-12-22

07-12-22

30
07-12-2022
प्रधान लिपिक

सुशील डुंगडुंग
14/12/22
2 श्री सुशील डुंगडुंग
14/12/22





भूमि स्वामित्व से संबंधित कागजात में खतियान एवं लगान रसोद, (1) श्री सुशील डुंगडुंग का जाति प्रमाण पत्र संख्या जे0एच0सी0सी0टी0/2022/162373 दिनांक 09.05.2022/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या-जे0एच0एल0आर0सी0/2022/203805/दिनांक 07.05.2022 एवं आधार संख्या 5959-9399-3165 (2) श्री सुदीप डुंगडुंग का जाति प्रमाण पत्र संख्या जे0एच0सी0सी0टी0/2022/162302 दिनांक 09.05.2022/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या-जे0एच0एल0आर0सी0/2022/203859/दिनांक 07.05.2022 एवं आधार संख्या 5764-2403-2516 की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न हैं। क्रेतिका की ओर से जाति प्रमाण पत्र संख्या जे0एच0सी0सी0एस0टी0/2022/206249 दिनांक 11.06.2022/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या-जे0एच0आर0सी0/2022/231011/दिनांक 25.05.2022 एवं आधार संख्या 4629-5978-2514 की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में संलग्न हैं।

आवेदक ने अपने बयान में कहा है कि मौजा- सलडेगा, खाता संख्या- 62 प्लॉट संख्या- 247 जिसका रकबा 0.28 एकड़ में से 0.13 एकड़ जमीन को गृह निर्माण हेतु प्रस्तावित क्रेतिका- सुश्री रंजना स्वाती केरकेट्टा, पिता नाबोर केरकेट्टा, ग्राम सेवई, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा को मो0 9,10,000.00 (नौ लाख दस हजार) रुपये मात्र में अपने राजी- खुशी से बिक्री कर रहे हैं। यह हमारी खतियानी भूमि है। उक्त जमीन बिक्री करने के बाद मेरे पास 2.99 एकड़ जमीन शेष बचती है। बिक्रेतागण एवं क्रेतिका दोनों अनुसूचित जनजाति खड़िया जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना के निवासी हैं।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर मौजा- सलडेगा, खाता संख्या- 62 प्लॉट संख्या- 247 जिसका रकबा 0.28 एकड़ में से 0.13 एकड़ जमीन आवेदकगण श्री सुशील डुंगडुंग व श्री सुदीप डुंगडुंग दोनों के पिता स्व0 लिबिन डुंगडुंग, ग्राम- सलडेगा बरटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा द्वारा क्रेतिका- सुश्री रंजना स्वाती केरकेट्टा, पिता नाबोर केरकेट्टा, ग्राम सेवई, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत भूमि बिक्री करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

भूमि सुधार उपसहायता
सिमडेगा ।

भूमि सुधार उपसहायता
सिमडेगा ।

पुनश्च: तालिका तीन प्रतियों में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।



भूमि सुधार उपसहायता
सिमडेगा ।

02.12.22

300
07-12-22

प्रथम लिपिक

7-12-22

7-12-22



(2)

2. केता के सम्बन्ध में

1) क - केता का नाम / पिता का नाम
पर का पूरा पता

रंजना स्वामि केरवेडा पिता नचोर केरवेडा
ग्राम - सेवई, थाना - सिमडेगा, जिला - सिमडेगा
रजिस्ट्रार (जन्म - जन - जति)

ख - जाति

केता विक्रेता एक भागा क्षेत्र के निवासी है
आवासीय ।

2) क्या केता उसी ग्राम के निवासी है ?

नहीं !

विक्रेता का पंथावली
केता खिड़िया

3) जमीन खरीदने का कारण / आवश्यकता

—

4) क्या उसके पिता या बापों के नाम से तैयार
सिद्धि का बत बता है

नहीं !

5) उनके पत्र तब उनके परिवार के सभी सदस्यों के
पत्र युक्त जमीन सिद्धि है

6) यदि कोई वैवाहिक या अन्य संस्था है तो उत्तर ब्योरा

नहीं !

7) क्या वैवाहिक संस्था या अन्य संस्था का अतिरिक्त
जमीन खरीदने की आवश्यकता/उद्देश्य औचित्य

8) क्या वैवाहिक या अन्य संस्था के कुल पारित जमीन
के तब ब्योरा


नहीं !

9) क्या कोई भूखेदों को अनुमति कि वैवाहिक संस्था
जमीन खरीदने जमीन है और अतिरिक्त सिद्धि
जमीन उद्देश्य हेतु आवश्यकता है

नहीं

10) जमीनपत्र आ आ महाग्राम

अवेदक से विक्रेता एक
थाना क्षेत्र के निवासी है एवं एक जामिनी अनुमति
जामिनी के सदस्य है। अवेदक अपने इलाके के प्राथमिक
हिसाब ग्राम के विकास हेतु अवेदन किया है। जामिनी के
के अन्तर्गत हिसाबों के द्वारा अनापत्ति स्वतंत्र पत्र के माध्यम से
दिना है। भूमि विक्रम के पश्चात् 2.99 एकड़ भूमि क्षेत्र
बचती है। अतः अवेदकों को भूमि विक्रम हेतु अनुमति हेतु
अनुमति दी जा सकती है।



P-05=9
F-10=9
C.F-98=7
13=60

महाग्राम
अनुमति
22/11/2022
R.S.
7-12-22
7-12-22

300
02-12-2022
प्रधान लिपिक
अनुमति
7-12-22
7-12-22
अधिकारी
सिद्धि

